

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 339/2024  
अनवान : -

1. बजीरा राम पुत्र दलीप जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान  
काश्त० अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक:- 14/10/2024


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 98/96 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।


उक्त वाद भूमि में वादी का नाम वजीरसिंह पुत्र दलीप दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है। जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम बजीरा राम पुत्र दलीप है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। वादी के समस्त दस्तोवजो यथा आधार कार्ड, जनआधारक कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादी का नाम बजीरा राम पुत्र दलीप है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सही करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स० 1 को कई दफा कंहा की वादी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि में वादी का नाम वजीरसिंह पुत्र दलीप दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है। जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम बजीरा राम पुत्र दलीप है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। वादी के समस्त दस्तोवजो यथा आधार कार्ड, जनआधारक कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादी का नाम बजीरा राम पुत्र दलीप है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के  रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 98/96 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि

 उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वादी का नाम वजीरसिंह पुत्र दलीप दर्ज है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधर कार्ड आदि में वादी का बजीरा राम पुत्र दलीप है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 98/96 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी का नाम वजीरसिंह पुत्र दलीप के स्थान पर बजीरा राम पुत्र दलीप के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वजीरसिंह पुत्र दलीप के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए इनका नाम वजीरसिंह पुत्र दलीप नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/10/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 339/2024

अनवान : -

1. बजीरा राम पुत्र दलीप जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 339 सन 2024 निर्णय दिनांक 14/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 98/96 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी का नाम वजीरसिंह पुत्र दलीप के स्थान पर बजीरा राम पुत्र दलीप के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वजीरसिंह पुत्र दलीप के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए इनका नाम वजीरसिंह पुत्र दलीप नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर